दिनांक 06.10.2025 को अपराह्न 3:00 बजे ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय परिसर मे स्थित अचार्य नरेन्द्र देव प्रशासनिक भवन के सभागार में आयोजित दशम् परीक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त

1. प्रो0 अजय तनेजा, माननीय कुलपति – **अध्यक्ष**
2. प्रो0 सौबान सईद – सदस्य
3. डॉ0 तत्हीर फातिमा – सदस्य
4. प्रो0 चन्दना डे – सदस्य
5. प्रो0 तनवीर ख़दीजा – सदस्य
6. प्रो0 मुशीर अहमद – सदस्य
7. डॉ0 मनीष कुमार – सदस्य
8. डॉ0 नलिनी मिश्रा – सदस्य
9. डॉ0 नीरज शुक्ल – सदस्य
10. श्री संजीव गुप्ता, वित्त अधिकारी – सदस्य
11. डॉ0 महेश कुमार, कुलसचिव – सदस्य
12. श्री विकास, परीक्षा नियंत्रक – **सदस्य सचिव**
13. डॉ0 अताउर रहमान आज़मी – विशेष आमंत्रित

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त सदस्यगण का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक को निर्देशित किया गया। उक्त औपचारिकता पूर्ण करने के उपरान्त परीक्षा नियंत्रक द्वारा बिन्दुवार कार्य–सूची प्रस्तुत की गयी जिन पर परीक्षा समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

बिन्दु संख्या–01 **परीक्षा समिति की अष्टम बैठक दिनांक 05.05.2024 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।**

निर्णय– परीक्षा समिति की नवम् बैठक दिनांक 05.05.2025 के कार्यवृत्त का अवलोकनोपरान्त सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या–02 **राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी चुनौती मुल्यांकन की प्रक्रिया का अक्षर दर अक्षर पालन किया जा रहा है किन्तु सम्बंधित चुनौती मूल्यांलन में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की दर निर्धारित नहीं है अतः वाह्य विशेषज्ञ द्वारा किये गये उत्तर पुस्तिकाओं के चुनौती मूल्यांकन की दरों पर विचार–विमर्श।**

निर्णय– चुनौती मूल्यांकन के द्वितीय चरण में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की दर निर्धारित करने हेतु समिति द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सम्बंधित

(विकास)
परीक्षा नियंत्रक
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा
विश्वविद्यालय, लखनऊ

Vice Chancellor
Khwaja Moinuddin Chisti
Language University, Lucknow

प्रकरण में वित्तीय उपाशय निहित है, अतः समिति द्वारा तीन सदस्यीय समिति के गठन की संस्तुति की गयीः–

1. श्री विकास, परीक्षा नियंत्रक –अध्यक्ष।
2. प्रो0 सौबान सईद, अधिष्ठाता शैक्षणिक –सदस्य।
3. डॉ0 अताउर रहमान आज़मी, उप परीक्षा नियंत्रक –सदस्य।

उपरोक्त समिति को अपनी तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत करने एवं संस्तुति आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के अतिरिक्त परीक्षा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष द्वारा 04 विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों की नामावली प्रेषित करते समय इस तथ्य का ध्यान रखा जाए कि सूची में सर्वप्रथम नियमित, तत्पश्चात संविदात्मक एवं उसके उपरान्त अतिथि प्रवक्ता को स्थान दिया जाए। यदि सम्बंधित विभाग में अपेक्षित विषय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है तो उसी स्थिति में वाह्य परीक्षकों के नाम प्रेषित किये जायें।

बिन्दु संख्या–03 **सत्र 2025–26 की विषम सेमेस्टर परीक्षा के फार्म समर्थ पोर्टल के माध्यम से भराये जाने के सम्बन्ध में समिति को संसूचित किये जाने के सम्बंध में।**

निर्णय– सत्र 2025–26 की विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म समर्थ पोर्टल के समाध्यम से भराये जाने के सम्बंध में माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से परीक्षा समिति को संसूचित किया गया।

बिन्दु संख्या–04 **सत्र 2024–25 की सम सेमेस्टर परीक्षाओं के उपरान्त कुछ छात्र–छात्राओं द्वारा चुनौती मूल्यांकन के उपरान्त छात्र–छात्राओं के परीक्षाफल में हुए परिर्वतन से समिति को संसूचित किया जाना।**

निर्णय– सत्र 2024–25 की सम सेमेस्टर परीक्षाओं के उपरान्त कुछ छात्र–छात्राओं द्वारा चुनौती मूल्यांकन के उपरान्त परीक्षाफल में हुए परिर्वतन से परीक्षा समिति को संसूचित किया गया।

बिन्दु संख्या–05 **मॉडरेशन कार्य हेतु रू01000 प्रति विभाग परिश्रमिक दिया जाता है किन्तु कम धन राशि होने के कारण वाह्य विषय विशेषज्ञ द्वारा मॉडरेशन कार्य किये जाने हेतु असहमति व्यक्त कर दी जाती है। अतः सम्बन्धित मॉडरेशन कार्य के पारिश्रमिक की दरों के निर्धारण पर विचार विमर्श।**

निर्णय– समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मॉडरेशन कार्य की दरों के निर्धारण हेतु बिन्दु संख्या–02 पर गठित समिति को तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(विकास)
परीक्षा नियंत्रक
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा
विश्वविद्यालय, लखनऊ

Vice Chancellor
Khwaja Moinuddin Chisti
Language University, Lucknow

बिन्दु संख्या–06 विश्वविद्यालय के दशम् दीक्षान्त समारोह मे दिये जाने वाले स्वर्ण, रजत, एवं **कांस्य पदकों की अंतिम सूची से समिति को संसूचित किया जाना।**

निर्णय– विश्वविद्यालय के दशम् दीक्षान्त समारोह मे दिये जाने वाले स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदकों की अंतिम सूची के सम्बंध में माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से निम्नवत् परीक्षा समिति को संसूचित किया गया :–

पाठ्यक्रम स्तर	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक	कुल संख्या
स्नातक	39	26	25	**90**
परास्नातक	24	16	16	**56**
कुल योग	**63**	**42**	**41**	**146**

बिन्दु संख्या–07 राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्रांक ई–6291/32–जी0एस0/2025 दिनांक 01 सितम्बर, 2025 मे दिये गये निर्देश के बिन्दु संख्या 1, 2 एवं 7 पर विचार विमर्श।

निर्णय– राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्रांक–ई–6291/32–जी0एस0/2025 दिनांक 01 सितम्बर, 2025 मे दिये गये निर्देश के बिन्दु संख्या 1, 2 का विश्वविद्यालय द्वारा पूर्णतयः पालन किया जा रहा है एवं बिन्दु–7 पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में बैक पेपर परीक्षा के नियम सुपरिभाषित एवं स्पष्ट हैं अर्थात विषम सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा आगामी विषम सेमेस्टर एवं सम सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा आगामी सम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ सम्पन्न करायी जाती है और अंतिम वर्ष/सेमेस्टर के विद्यार्थियों की उपाधि उसी वर्ष पूर्ण हो सके इसलिए इन छात्र–छात्राओं की स्पेशल बैक पेपर परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। प्रश्नगत प्रकरण पर समिति द्वारा यही व्यवस्था यथावत लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–08 विश्वविद्यालय में एलिमेन्ट्री विषयों में आंतरिक अंक 30 एवं वाह्य 70 अंक होते हैं, जिसमें आंतरिक अंक 33 प्रतिशत एवं वाह्य अंक 33 प्रतिशत लाने के उपरान्त ही छात्रों को सम्बंधित विषयों में उत्तीर्ण किया जाता है। अतः छात्रों के भविष्य के दृष्टिगत एलिमेन्ट्री विषयों में आंतरिक एवं वाह्य अंक मिला कर 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को उत्तीर्ण किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श।

निर्णय– विश्वविद्यालय में एलिमेन्ट्री विषयों में आंतरिक परीक्षा 30 अंकों एवं वाह्य परीक्षा 70 अंकों की होती है जिसमें दोनो मे अलग–अलग 33 प्रतिशत अंक लाने के

(विकास)
परीक्षा नियंत्रक
ख्वाजा मुईनुददीन चिश्ती भाषा
विश्वविद्यालय, लखनऊ

Vice Chancellor
Khwaja Moinuddin Chisti
Language University, Lucknow

उपरान्त ही छात्रों को सम्बंधित विषयों में उत्तीर्ण किया जाता है। चूंकि यह विषय क्वालिंफाइग(Qualyfing) प्रकृति के होते हैं अतः छात्रों के भविष्य के दृष्टिगत परीक्षा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एलिमेन्ट्री विषयों में एन0ई0पी0–2020 के मेजर विषयों के भांति वाह्य परीक्षा में 33 प्रतिशत अंक (अर्थात 70 मे 23 अंक) एवं पूर्णांक 100 में कुल 33 अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी छात्र सम्बंधित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। उक्त व्यवस्था को व्यापक छात्र हित में सत्र 2025–26 से लागू किये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–09 **दशम् दीक्षान्त समारोह में दिये जाने वाली उपाधियों में संकाय भी अंकित किये जाने पर विचार–विमर्श।**

निर्णय– दशम् दीक्षान्त समारोह में दिये जाने वाली उपाधियों में संकाय भी अंकित किये जाने पर परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–10 **विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग सिस्टम, श्रेणी निर्धारण एवं उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण के नियमों में भिन्नता के निवारण हेतु विद्या परिषद द्वारा गठित एवं कार्य परिषद से अनुमोदित समिति की संस्तुति पर विचार–विमर्श।**

निर्णय– विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग सिस्टम, श्रेणी निर्धारण एवं उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण के नियमों में भिन्नता के निवारण हेतु विद्या परिषद द्वारा गठित एवं कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित समिति की संस्तुति पर परीक्षा समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–11 **छात्रा सुश्री शगुफ्ता नाज़ रोल न0 2002069 बी0काम0 आनर्स बैच 2020 की छात्रा के प्रार्थना पत्र दिनांक 22 सितम्बर 2025 एवं छात्र श्री केतन पाण्डेय रोल न0 2006010 बी0एस0सी0–बायोटेक्नालॉजी बैच 2020 के प्रार्थना पत्र दिनांक 12 सितम्बर 2025 के सदर्भ पर N+2 के नियम की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी बैक पेपर परीक्षा दिये जाने का अंमित अवसर दिये जाने पर विचार–विमर्श।**

निर्णय– सुश्री शगुफ्ता नाज़ रोल न0 2002069 बी0काम0 आनर्स बैच 2020 के पत्र दिनांक 22 सितम्बर 2025 एवं छात्र श्री केतन पाण्डेय रोल न0 2006010 बी0एस0सी0–बायोटेक्नालॉजी बैच 2020 दिनांक 12 सितम्बर 2025 पर विचार किया गया, तदोपरान्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यादेश में विहित प्रविधानों के अनुपालन में N+2 की अवधि समाप्त होने के कारण सुश्री शगुफ्ता नाज़ एवं श्री केतन पाण्डेय के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए निक्षेपित किया गया।

(विकास)
परीक्षा नियंत्रक
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा
विश्वविद्यालय, लखनऊ

Vice Chancellor
Khwaja Moinuddin Chisti
Language University, Lucknow

बिन्दु संख्या–12 छात्रा सुश्री आंचल गुप्ता एल0एल0बी0 द्वितीय सेमेस्टर पत्र दिनांक 29.08.2025 एवं श्री अज़हर एम0बी0ए0 द्वितीय सेमेस्टर द्वारा अपने प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के 50 प्रतिशत पेपर उत्तीर्ण न होने के कारण सम्बंधित विद्यार्थियों की वर्ष बैक आ गयी है, विद्यार्थियों द्वारा तृतीय सेमेस्टर में प्रामोट किये जाने के आग्रह पर विचार विमर्श।

निर्णय– छात्रा सुश्री आंचल गुप्ता एल0एल0बी0 द्वितीय सेमेस्टर के पत्र दिनांक 29.08.2025 एवं छात्र श्री अज़हर एम0बी0ए0 द्वितीय सेमेस्टर पर विचार किया गया तदोपरान्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यादेश में विहित प्रविधानो के अनुपालन में सुश्री आंचन गुप्ता एवं श्री अज़हर के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर निक्षेपित किया गया।

बिन्दु संख्या–13 कुलसचिव कार्यालय के पत्र संख्या–1690/भविवि/कुसका/2025/ 889/23 दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की **Endowment Acceptance Committee** द्वारा दशम् दीक्षान्त समारोह–2025 में इण्डोमेन्ट पॉलिसी के तहत दो पदक दिये जाने कि संस्तुति की गयी है किन्तु दोनो पदको को पृथक से प्रदान किया जाए अथवा इस वर्ष दीक्षान्त समारोह में दिये जाने वाले 144 पदको में समाहित समाहित किया जाए।

निर्णय– परीक्षा समिति द्वारा उक्त प्रकरण पर गहन विचार–विमर्श किया गया और विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों प्रायोजित पदकों को इस दीक्षान्त समारोह में पृथक से प्रदान किया जाए। उक्त निर्णय के उपरान्त दीक्षान्त समारोह में प्रदान किये जाने वाले पदकों कुल संख्या–146 हो गयी है।

उक्त के अतिरिक्त परीक्षा समिति द्वारा यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि सत्र 2025–26 से इण्डोमेन्ट पॉलिसी के तहत दिये जाने वाले पदकों की शर्त अगर सामान्य रूप से दिये जाने वाले पदकों की श्रेणी से मेल खाती है तो उन्हें उसी मेडल में परिवर्तित कर दिया जाये और यदि विद्यमान श्रेणी से भिन्न कोई श्रेणी होती है तो ही प्रायोजित पदक को पृथक से प्रदान किया जाए। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इंण्डोमेन्ट पॉलिसी का मेडल जिस व्यक्ति द्वारा प्रायोजित किया गया है उसे दीक्षान्त समारोह में सम्मिलित होने हेतु निमंत्रण समिति द्वारा निमंत्रण पत्र प्रेषित किया जाए और दीक्षान्त समारोह के उपरान्त हर वर्ष मेडल प्राप्त कर्ता की सम्पूर्ण जानकारी सम्बंधित को प्रेषित की जाए।

चूंकि इण्डोमेन्ट पॉलिसी के तहत प्राप्त धनराशि के ब्याज से प्रायोजित स्वर्ण पदक दिया जाता है अतः समिति द्वारा वित्त अधिकारी से यह अपेक्षा की

(विकास)
परीक्षा नियंत्रक
ख्वाजा मुईनुददीन चिश्ती
विश्वविद्यालय

Vice Chancellor
Khwaja Moinuddin Chisti
Language University, Lucknow

गयी कि प्राप्त धनराशि की नियमानुसार बैंक मे एफ0डी0 करायी जाए। उक्त निर्णय से वित्त अधिकारी को सूचित किये जाने के परीक्षा समिति द्वारा निर्देश प्रदान किये गये।

बिन्दु संख्या–14 **विश्वविद्यालय की नवम परीक्षा समिति के कार्यवृत्त के बिन्दु–02 के आलोक में बी0टेक0 लैटरल (Lateral Entry) में प्रवेशित छात्र–छात्राओं की अंकतालिका में लैटरल इंट्री अंकित नहीं किये जाने पर विचार विमर्श।**

निर्णय– विश्वविद्यालय की नवम परीक्षा समिति के कार्यवृत्त के बिन्दु–02 में बी0टेक0 लैटरल (Lateral Entry) में प्रवेशित छात्र–छात्राओं की अंकतालिका में लैटरल इंट्री अंकित नहीं किये जाने के प्रकरण में उक्त बिन्दु में परीक्षा समिति द्वारा लिए गये निर्णयानुसार परीक्षा नियंत्रक द्वारा तीन विश्वविद्यायलयों (चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं डॉ0 शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ) की अंकतालिकाओं को परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परीक्षा समिति द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर बी0टेक0 लैटरल इंट्री (Lateral Entry) के विद्यार्थियों की अंकतालिका सत्र 2025–26 से प्रवेशित छात्रों की अंकतालिकाओं पर लैटरल इंट्री(Lateral Entry) अंकित नही किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत मे बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

06.10.2025

(विकास)
परीक्षा नियंत्रक

(विकास)
परीक्षा नियंत्रक
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा
विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 अजय तनेजा)
कुलपति

Vice Chancellor
Khwaja Moinuddin Chisti
Language University, Lucknow